कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा (छत्तीसगढ़)

—:0 आदेश 0:—

क्रमांक / 296 / सां.लि. / COVID-19 / 2022 दन्तेवाड़ा दिनांक 14/ 02 / 2022

कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 86 / सां.लि. / COVID-19 / 2022 दन्तेवाड़ा दिनांक 12.01.2022 के माध्यम से दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र में सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध अधिरोपित किये गये हैं ।

कोविड–19 प्रकरणों में लगातार कमी होने के फलस्वरूप सार्वजनिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों में छूट प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है । अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1897 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन इस कार्यालय के उपरोक्त आदेश को अधिक्रमित करते हुए मैं दीपक सोनी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा निम्नलिखित आदेश प्रसारित करता हूँ :—

1. होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, बेकरी आईटम, फूड कोर्ट एवं अन्य खाद्य संबंधी प्रतिष्ठान अधिकतम रात्रि 12.00 बजे तक संचालित होगें ।
2. नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा मुख्य सड़क मार्ग में स्थित ढाबे रात्रि 12.00 बजे के बाद भी ट्रक, बस एवं अन्य परिवहन वाहनों के लिए संचालित हो सकेगें ।
3. दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा जिला अंतर्गत समस्त प्रकार के धरना, रैली एवं जुलूस आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा ।
4. धार्मिक, खेलकूद, सांस्कृतिक एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रम (विवाह एवं दशगात्र इत्यादि) में छत्तीसगढ़ शासन के आदेश क्रमांक 564 / ससाप्रवि / 2021 दिनांक 30 / 12 / 2021 के माध्यम से कार्यक्रम स्थलों पर अधिकतम क्षमता के 50 प्रतिशत की अनुमति रहेगी ।
5. छत्तीसगढ़ शासन के आदेश क्रमांक 564 / ससाप्रवि / 2021 दिनांक 30.12.2021 के माध्यम से कार्यक्रम स्थलों पर अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता की अनुमति होगी तथा 200 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की स्थिति में एक दिन पूर्व निकटतम थाना / एस.डी.एम. / तहसील कार्यालय / नगरीय निकाय / नगर पंचायत को सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा । कार्यक्रम में 200 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति होने की दशा में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी की लिखित अनुमति अनिवार्य होगी ।
6. सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेसिंग के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा । उल्लंघन की दशा में राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25 / 03 / 2021 में निर्धारित अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा । उक्त निर्देश का पालन करने हेतु तहसीलदार / नायब तहसीलदार / नगर निगम / थाना अधिकृत होगें । अर्थदण्ड देने से इंकार करने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।
7. दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा जिला अंतर्गत सभी शासकीय / अशासकीय शिक्षण संस्थान (जिसमें कोचिंग ट्युशन संस्थान भी सम्मिलित), आंगनबाड़ी केन्द्र, लाइब्रेरी, शतप्रतिशत क्षमता के साथ कोविड–19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु निर्धारित प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित करते हुए संचालित किया जा सकेगा ।

... 2 ...

कलैक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

8. दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा जिला अंतर्गत सभी मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, होटल, रेस्टोरेंट मैरिज हॉल, ऑडिटोरियम एवं अन्य आयोजन स्थल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कोविड–19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु निर्धारित प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित करते हुए संचालित किया जा सकेगा ।
9. दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा अंतर्गत रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड पर राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को पहुंचने पर 72 घंटे पूर्व का कोरोना टेस्ट आर.टी.पी.सी.आर. निगेटिव रिपोर्ट दिखाने की अनिवार्यता को समाप्त किया जाता है ।
10. यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, खॉसी, बुखार, सॉस लेने में तकलीफ, स्वाद या गंध महसूस नही होना, दस्त, उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत हो, तो निकटतम केन्द्र में कोविड–19 जांच कराना तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वारंटाईन रहना अनिवार्य होगा । रिपोर्ट पॉजिटिव होने तथा होम आईसोलेशन हेतु अनुमति प्रदान किये जाने पर अनुमति की शर्तो का कड़ाई से पालना करना अनिवार्य होगा ।
11. यदि किसी क्षेत्र में कोविड–19 पॉजिटिव मरीजों की सघनता पाई जाती है तो उक्त क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जावेगा तथा उक्त क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को कंटेनमेंट जोन संबंधी समस्त दिशा–निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा ।
12. विदेश से आने वाले नागरिक आगमन की सूचना निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र, जिला कंट्रोल रूम एवं राजस्व अधिकारी को आवश्यक रूप से देंगे तथा इस संबंध में राज्य शासन स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
13. समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान संचालक, कर्मचारी एवं ग्राहकों को व्यवसाय के दौरान मास्क का उपयोग करना आवश्यक होगा । सभी व्यवसायियों को अपने दुकान / संस्थान में विक्रय हेतु मास्क / सेनेटाईजर रखना अनिवार्य होगा, ताकि बिना मास्क पहने खरीद्दारी करने के लिए आये ग्राहकों को सर्वप्रथम मास्क का विक्रय / वितरण किया जावे एवं तत्पश्चात् अन्य वस्तुओं / सेवाओं का विक्रय किया जावे । उल्लंघन किये जाने पर नगरीय निकाय के अधिकारी, पुलिस विभाग, के सहयोग से चालानी कार्यवाही सुनिश्चित करें ।
14. निजी अस्पताल नियमित रूप से बिस्तर उपलब्धता की जानकारी स्वास्थ्य विभाग की वेबसाईट में अपडेट करेंगे ।
15. दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा जिले में कोरोना वायरस (कोविड–19) के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना वायरस निगरानी, जांच निरीक्षण दल द्वारा भौतिक परीक्षण, संगरोध (क्वारंटीन) एवं ईलाज से संबंधित अधिकारी / कर्मचारियों को यदि कोई भी व्यक्ति सहयोग देने से इंकार करता है तथा वांछित जानकारी देने से इंकार करता है या निगरानी दल के निर्देशों का पालन नही करता है अथवा इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो वह व्यक्ति भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 270 सहपठित एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट 1897 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधीन दण्ड का भागी होगा ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना आवश्यक है । वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामिली संभव नही होने के कारण यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है । आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे । यह आदेश 16 फरवरी, 2022 से प्रभावशील होगा ।

आज दिनांक 14 फरवरी, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया ।

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी (छ.ग.) जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

(दीपक सोनी)
कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा

पृ.क्र./297/सां.लि./COVID-19/2022 दन्तेवाड़ा दिनांक 14/02/2022

प्रतिलिपि :—

1 अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर नगर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित ।

2 सचिव छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर नगर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित ।

3 सचिव छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर नगर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित ।

4 पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर नगर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित ।

5 कमिश्नर, बस्तर संभाग, जगदलपुर ।

6 पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज, जगदलपुर ।

7 पुलिस महानिरीक्षक (आप्स.) सी.आर.पी.एफ. दन्तेवाड़ा ।

8 पुलिस अधीक्षक, जिला—दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा ।

9 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा ।

10 अनुविभागीय दण्डाधिकारी, दन्तेवाड़ा/बड़ेबचेली ।

11 सर्व विभाग /कार्यालय प्रमुख, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा ।

12 अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) दन्तेवाड़ा/किरन्दुल की ओर उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

13 अधिशासी निदेशक, एन.एम.डी.सी. कॉम्पलेक्स बचेली/ किरन्दुल

14 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दन्तेवाड़ा ।

15 सर्व तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, की ओर उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

16 सर्व मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत की ओर उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

17 सर्व थाना प्रभारी, पुलिस थाना की ओर उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

18 सहायक संचालक, जनसंपर्क, दन्तेवाड़ा की ओर दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन की कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

19 नोडल अधिकारी, कण्ट्रोल रूम (07856—252412) जिला कार्यालय, दन्तेवाड़ा ।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा